<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/60/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

चौथा तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 30 सितंबर, 2026

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

<u>सेतु मामला आईडी- AD/OI/061/2026</u>

<u>विषय: चीन जन. गण. और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।</u>

1. **<u>फा. सं. 6/60/2026-डीजीटीआर</u>:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. और जापान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित कतिपय काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद 16 टन तक की क्षमता वाले, चालक द्वारा सवार होकर संचालित, डीजल अथवा विद्युत चालित, क्लास I, IV और V के कतिपय काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट हैं, जो सभी रूपों में आयातित होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्णतः निर्मित इकाइयां ("सीबीयू"), अर्ध-असंयोजित किट ("एसकेडी") और पूर्णतः असंयोजित किट ("सीकेडी") शामिल हैं। तथापि, काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट के स्वतंत्र पुर्जे और संघटक उत्पाद के दायरे से बाहर रखे गए हैं। काउंटरबैलेंस्ड स्टैकर, जो प्रचालक सीट रहित तथा पैदल अथवा खड़े होकर संचालित किए जाने वाले उपस्कर हैं, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं।

4. काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट प्रचालक द्वारा सवार होकर चलाया जाने वाला उत्तोलन वाहन है, जिसे औद्योगिक, भंडारण, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स परिसरों के भीतर कम दूरी तक पैलेटयुक्त अथवा पैलेट-रहित भार को उठाने, ले जाने और चट्टे में लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

5. काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट की निर्णायक तकनीकी विशेषता वाहन के पिछले भाग में एकीकृत प्रतिभार (काउंटरवेट) की उपस्थिति है। यह प्रतिभार अग्र भाग में उठाए गए भार के वज़न को संतुलित करता है, जिससे फोर्कलिफ्ट आउटरिगर अथवा बाहरी सहारा टांगों के उपयोग के बिना कार्य कर पाता है। प्रतिसंतुलन तंत्र फोर्कलिफ्ट को भार उठाने, नीचे उतारने और क्षैतिज संचलन के दौरान संतुलन बनाए रखते हुए भार उठाने में सक्षम बनाता है।

6. फोर्कलिफ्ट में वाहन के अग्र भाग पर लगा एक हाइड्रॉलिक भार-संचालन तंत्र होता है, जिसमें सामान्यतः माल उठाने के लिए प्रयुक्त कैरिज और फोर्क शामिल होते हैं। वाहन को भार को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाने तथा संतुलन और प्रचालनात्मक स्थिरता बनाए रखते हुए उसका परिवहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट का प्राथमिक कार्य अतिरिक्त स्थिरीकरण उपस्कर की आवश्यकता के बिना माल का संचलन करना और उसे चट्टे में लगाना है।

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई संख्या अथवा नग मानी गई है।

8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 8427 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 84271000, 84272000 और

84279000 के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदक ने वर्तमान जांच में उचित तुलना के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं:

ईंधन का प्रकार और पीसीएन कोड	**उप-मानदंड**	**उप-मानदंड का प्रकार**	**उप-मानदंड पीसीएन कोड**
विद्युत (EL)	खंड	3 पहिया (गैर-आर्टिकुलेटेड)	1
		4 पहिया (गैर-आर्टिकुलेटेड)	2
		आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट	3
	बैटरी का प्रकार	लेड एसिड बैटरी	LB
		ली-आयन बैटरी सहित अन्य उन्नत रसायन बैटरियां	OB
	टन भार	2 टन तक	A
		2 टन से अधिक और 3.5 टन तक	B
		3.5 टन से अधिक और 5 टन तक	C
		5 टन से अधिक और 16 टन तक	D
डीजल (DL)	टन भार	3 टन तक	E

		3 टन से अधिक और 5 टन तक	F
		5 टन से अधिक और 7 टन तक	G
		7 टन से अधिक और 10 टन तक	H
		10 टन से अधिक और 12 टन तक	I
		12 टन से अधिक और 16 टन तक	J

10. हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव, यदि कोई हों, इस जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के संप्रेषण के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

समान वस्तु

11. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया है और कर रहे हैं। अतः, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देशों में उत्पादित और वहां से आयातित विचाराधीन उत्पाद की “समान वस्तु” माना जा रहा है।

संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. और जापान हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

13. आवेदक ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह की अवधि) को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा प्रस्तावित जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित की गई है।

घरेलू उद्योग और आधार

14. वर्तमान आवेदन गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने बताया है कि जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के कुल पात्र भारतीय उत्पादन में उसका हिस्सा लगभग 60-70% है तथा कुल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक कियोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड और जोस्ट्स इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड हैं। आवेदक ने कियोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस आधार पर नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र माना है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों अथवा निर्यातकों से संबंधित है, तथा कुल पात्र भारतीय उत्पादन का निर्धारण करते समय उसके उत्पादन को अलग रखा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के अंतर्गत अन्य उत्पादकों को पात्र मानने के पश्चात् भी आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक है।

15. आवेदक ने बताया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की अल्प मात्रा का आयात किया है, जो उसके उत्पादन और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का नगण्य हिस्सा है, तथा इन आयातों का एक महत्वपूर्ण भाग परीक्षण और मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ उसके किराया बेड़े (रेंटल फ्लीट) में शामिल किया गया था। आवेदक ने बताया है कि वह संबद्ध देशों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने आवेदक को संबद्ध वस्तुओं का पात्र घरेलू उत्पादक माना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन नियम 2(ख)

के संदर्भ में कुल भारतीय उत्पादन का “प्रमुख अनुपात” है और यह पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में भी आधार संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

a) <u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

17. आवेदक ने चीन के अधिमिलन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए उस पर विश्वास किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

18. आवेदक ने बताया है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों अथवा उत्पादन लागत से संबंधित सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः, आवेदक ने कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य निकालने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, अर्थात् कच्चे माल की लागत और परिवर्तन लागत, में उचित लाभ मार्जिन जोड़कर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

19. वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही की है और चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में संदत्त अथवा संदेय कीमत के आधार पर किया है। सामान्य मूल्य का परिकलन आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों हेतु विधिवत समायोजन करते हुए, उचित लाभ सहित किया गया है।

b) <u>जापान के लिए सामान्य मूल्य</u>

20. आवेदक ने दावा किया है कि उसने जापान में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों अथवा उत्पादन लागत की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उक्त सूचना सार्वजनिक रूप से

उपलब्ध न होने के कारण वह इसमें सफल नहीं हो सका। अतः, आवेदक ने उसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन हेतु समायोजन करते हुए, जापान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए, आवेदक ने कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य निकालने हेतु घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत और परिवर्तन लागत में उचित लाभ मार्जिन जोड़ा है।

21. तदनुसार, वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, रिकॉर्ड पर विश्वसनीय सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों हेतु विधिवत समायोजन करते हुए तथा उचित लाभ मार्जिन सहित, जापान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

c) <u>निर्यात कीमत</u>

22. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आंकड़ों में दर्शाई गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए किया गया है। आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार, कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, लदान और उतराई प्रभार तथा बैंक प्रभार के मद्दे समायोजन किए गए हैं।

d) <u>पाटन मार्जिन</u>

23. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और पर्याप्त है। अतः, इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

24. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष

रूप से तथा मांग के संबंध में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती हो रही है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों के कारण उसकी कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह प्रदर्शित होता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप उसकी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि मांग में वृद्धि के बावजूद उसका बाजार हिस्सा स्थिर रहा है, उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, तथा उसे संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ की स्थिति का सामना करना पड़ा है, जो जांच की अवधि में और अधिक गंभीर हो गई है।

25. अतः, प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाए जाने तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

26. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो, पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

प्रक्रिया

27. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

28. इस जांच से संबंधित समस्त सूचना, प्रश्नावलियां और अनुरोध इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही दायर किए जाने चाहिए। प्राधिकारी ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं भी कर सकते हैं।

29. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृत कराना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में किसी कठिनाई की स्थिति में, https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तत्संबंधी सेतु आईडी AD/OI/061/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल के माध्यम से ही दायर किए जाने चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि अनुरोधों का वर्णनात्मक भाग खोज-योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में दायर किया जाए, जबकि आंकड़ा फाइलें समुचित रूप से लिंक किए गए परिकलनों सहित एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और रीति में सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और रीति में दायर की जानी चाहिए।

31. जांच में हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर/अनुरोध दायर करें।

32. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और रीति में वर्तमान जांच से संगत अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए उसका अगोपनीय पाठ साथ-साथ दायर करना अपेक्षित है। अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए।

33. हितबद्ध पक्षकारों को आगे निदेश दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे की गतिविधियों से अवगत रहने के लिए तथा प्रश्नावली प्रपत्रों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणाम और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

समय-सीमा

34. गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी) को सेतु पोर्टल के संबंधित निर्दिष्ट खंडों में उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के समुचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

35. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण के इच्छुक किसी भी पक्षकार को सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही अपने प्रश्नावली उत्तर और अनुरोध अनिवार्य रूप से दायर करने होंगे।

36. विचाराधीन उत्पाद के दायरे/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

37. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चवर्ती सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद में संशोधन करते हैं, और ऐसा पीसीएन निर्धारित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन

उत्पाद और पीसीएन के निर्धारण की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरुआत के पश्चात् विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे समय के और विस्तार हेतु अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

38. समय-विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल अंतिम तारीख से कम से कम 3 दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात् प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

39. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां उसके लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) के संदर्भ में तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

40. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ अनिवार्य रूप से गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया गया हो अथवा रिक्त छोड़ा गया हो (जहां सूचीकरण संभव न हो), और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसके अनुसार ऐसी सूचना का समुचित और पर्याप्त रूप से सारांश दिया जाना चाहिए।

42. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वरूपतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके गोपनीय होने का दावा उसका प्रदाता करता है। जिस सूचना के स्वरूपतः गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ इस बारे में उचित

कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

43. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

44. अगोपनीय सारांश पर्याप्त ब्यौरे सहित होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में, सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, इसका पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

45. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां इस जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

46. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा पर्याप्त और समुचित कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी भी अनुरोध के संबंध में, गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 30-09-2026 18:22:55

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी